न्यायालयः– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना–कुचामन

वउनवान–मोहम्मद आरिफ वनाम जाकिर हुसैन व अन्य
किस्म–दीवानी मूल नंबर–28 / 17 क.न.–90 / 19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15-01-26	वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 के संबंध में बहस सुनी गई जिसका निस्तारण किया जा रहा है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी वाद के निस्तारण के लिए आवश्यक दस्तावेजात पेश करना चाहता है जिनमें– मोहम्मद हनीफ, रूकैया बेगम व मोहम्मद हारून का मृत्यु प्रमाण पत्र है। उक्त दस्तावेजात वाद के न्याय निर्णय हेतु आवश्यक है अतः वर्णित दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अधिवक्ता वादी ने मौखिक रूप से आपत्ति जाहिर की। पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। जहां तक कि प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता ने आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के संबंध में कथन किया कि प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र के साथ पेश दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जावें इस संबंध में वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रतिवादीगण द्वारा वाद को लंबा करने के आशय से प्रार्थना पत्र पेश करने का कथन किया है इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश	

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम इस की ता मे जारी
	दस्तावेजात का न्यायालय के द्वारा अवलोकन किया गया जिनमें:— मोहम्मद हनीफ, रूकैया बेगम व मोहम्मद हारून के मृत्यु प्रमाण पत्र की असल प्रतियां है। उक्त दस्तावेजात वाद तथ्यो से संबंधित दस्तावेजात है अतः प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पेश दस्तावेजातः—मोहम्मद हनीफ, रूकैया बेगम व मोहम्मद हारून के मृत्यु प्रमाण पत्र की असल प्रतियो को रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से रिकॉर्ड पर लिये जाते है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 17.01.2026 को पेश हो। अपर जिला न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन	